प्रेस नोट **09/07/2024**

यातायात जागरुकता अभियान के क्रम में 18 वर्ष के कम उम्र के छात्र/छात्राओं द्वारा दो पहिया एवं चारपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने एवं नाबालिग बच्चों को वाहन देने वाले स्वामी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 09.07.2024 को क्षेत्राधिकारी यातायात व यातायात प्रभारी के नेतृत्व में जागरुकता अभियान चलाया गया। जिसमें डीएवी इण्टर कॉलेज कोतवाली नगर मऊ के नाबालिग छात्र/छात्राओं को वाहन न चलाने के बारे जागरुक किया गया तथा यातायात/सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गयी।

गैंगेस्टर एक्ट में 01 वांछित अभियुक्त तथा 06 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 09.07.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर सुतरही मोड़ के पास से मु0अ0सं0 215/24 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त इस्तेयाक अहमद पुत्र इम्तेयाज अहमद निवासी खैराबाद थाना मुहम्मदाबाद तथा धोसी पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण हरेन्द्र पुत्र फौजदार, कोमल पुत्र रामधारी, केवल पुत्र रामधारी निवासीगण माझिल जमीन माझिल, जितेन्द्र सिंह पुत्र बृजकुमार निवासी करमपुर थाना घोसी तथा कोपागंज पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण अशोक कुमार चौरसिया पुत्र रामवृक्ष चौरसिया निवासी लिलारी भरौली, रामू पुत्र देवनरायण निवासी अलादासपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0) सन्दर्भों के त्वरित एवं गुणवत्तापुर्ण निस्तारण कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 09.07.2024 को पुलिस लाईन मऊ के सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा जनपद के समस्त थानों के सीसीटीएनएस/ आई0जी0आर0एस0 कर्मियों के साथ गोष्ठी की गयी। इस दौरान आई0जी0आर0एस0 पोर्टल के विभिन्न संदर्भों के प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालते हुये आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये। साथ ही साथ निर्देशित किया गया कि सभी पुलिस अधिकारी–कर्मचारियों के द्वारा सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को बहुत ही गंभीरता के साथ लेकर जनता की समस्याओं का निस्तारण समय पर करायें। इस दौरान जनपद के समस्त थानों के सीसीटीएनएस/ आई0जी0आर0एस0 कर्मी उपस्थित रहे।